यात्रियों की शिकायत पर उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्व आई.जी.आई. विमानपत्तन के थाने में आई.पी.सी.की धारा 384 के अधीन एफ.आई.आर संख्या 30/98 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था । उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्व विभागीय जांच की जा रही है । इस उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था । इस समय वह जमानत पर हैं । यह मामला न्यायालय में अभियोजन के लिए लंबित हैं

3. अबू सहैल की शिकायत पर,आल ई.पी.सी.की धारा 384/34 तथा अधिनियम पी.ओ.सी.की धारा 7/8/13 के अधीन एफ.आई.आर,संख्या 419/98 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था । सतर्कता विभाग,आई.जी.आई.विमानपत्तन दिल्ली पुलिस के हैंड कांस्टेबल श्यामलाल संख्या 23/ए,तथा हैंड कांस्टेबल रामवीर सिंह संख्या 467/ए के साथ दो कस्टम अधिकारियों यथा के.एल.बत्रा तथा आर.के.देव को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है । मामले की जांच चल रही है । दोनों कस्टम अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है ।

(ग) दिल्ली पुलिस/कस्टम द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नीचे दिया गया है:-

1.इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर आठ शिकायत पेटियां संस्थापित की गई हैं ताकि वे उनमें उत्पीड़न,आदि की स्थिति में कथित अधिकारी का नाम उसकी तैनाती के स्थान का उल्लेख करते हुए उसके विरूद्व शिकायत कर सकें । यह पेटियां डी.सी.पी./ए.सी.पी.द्वारा खोली जाएंगी और दोषी पाए जाने पर उन अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्रवाई की जाती है ।

2.यात्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशानी अथवा उत्पीड़न की स्थिति में एनाउंसमेंट करा सकते हैं ।

3. डी.सी.पी.तथा ए.सी.पी.द्वारा रात्रि के दौरान आई.जी.आई.विमानपत्तन पर आकस्मिक दौरा किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो । सर्तकता विभाग भी आई.जी.आई. विमानपत्तन पर स्टाफ की गतिविधियों पर नज़र रख रहा है ।

4. जनता की शिकायतों की जांच करने की दृष्टि से विमानपत्तन पर सहायत आयुक्त कस्टम स्तर के एक अधिकारी लगातार 24 घंटे की तैनाती की गई है । उत्पीड़न का पता चलने /रिपोर्ट करने की स्थिति में विभागीय कार्यवाई की जाती है ।

Violation of norms by NTPC

*29. SHRI JIBON ROY:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Violation of Norms — NTPC played for Snapping Power to west Bengal" published in "Hindustan Times" dated 30th October 1998;

(b) if so, whether EREB had pointed out that NTPC's violation of procedures had let to serious grid disturbances; and

(c) if so, the action taken by Government against these violations and against those responsible for the same?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) National thermal Power Corporation (NTPC), before regulating power supply, had given sufficient advance notice as per the norms to Eastern Regional Electricity Board, Eastern Regional Load Despatch Centre (ERLDC) and West Bengal State Electricity Board (WBSEB) regarding withdrawing of NTPC power to West Bengal State Electricity Board (WBSEB) from Farakka Super Thermal Power Project so that ERLDC could take advance action to ensure grid security. As a result, there was no grid disturbance on account of withdrawal of NTPC power supply to West Bengal State Electricity board.

(c) Since there was no violation of norms action against any individual does not arise.